डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.रेखाराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट, निवासी ताजासर (तारातरा) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.नारणाराम पुत्र लच्छाराम, जाति जाट
निवासी ताजासर (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री ज्येष्ठ कुमार**
प्रतिवादी वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

वाद बाबत 88,40, 188 RT Act.

मुकदमा नं. 40/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री ज्येष्ठ कुमार** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री बाबूलाल जाणी** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा सारणों का तला (तारातरा) तहसील चौहटन में खसरा सं. 702/591 रकबा 05.5037 हैक्टयर एवं मौजा ताजासर (तारातरा) खसरा सं. 1191/725 रकबा 08.4498 हैक्टयर, खसरा सं. 1246/725 रकबा 03.3670 हैक्टयर में वादी सं. 1 को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.01.2025 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत..........................

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा [illegible] मेहनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 40/2024

पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.रेखाराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट, निवासी ताजासर (तारातरा) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.नारणाराम पुत्र लच्छाराम, जाति जाट निवासी ताजासर (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री ज्येष्ठ कुमार**
प्रतिवादी वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

सहायक कलक्टर (SDO) * चौहटन *

अन्तर्गत धारा 88,40,188, RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 22.01.2025

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है व हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादी प्रतिवादी सं. 1 का जायंदा पुत्र है। वादी के अलावा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य कोई जायंदा पुत्रत्र व पुत्री नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही पूर्वज लच्छाराम के वंशज है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा सारणों का तला (तारातरा) तहसील चौहटन में खसरा सं. 702/591 रकबा 05.5037 हैक्टयर एवं मौजा ताजासर (तारातरा) खसरा सं. 1191/725 रकबा 08.4498 हैक्टयर, खसरा सं. 1246/725 रकबा 03.3670 हैक्टयर की आई हुई है। वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता लच्छाराम ने तत्कालीन जागीरदार से हासल पर प्राप्त की गई थी परन्तु लच्छाराम का देहान्त [illegible] के कुछ समय पूर्व हो गया जिस पर उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता श्री लच्छाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। पैतृक सम्पति में पुत्र का जन्म से हक व हिस्सा उत्पन्न हो जाता है, इसलिये उक्त पैतृक भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी पैतृक खातेदारी में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले हिस्से का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अधिनियम के तहत 1/2 हिस्सा पैतृक

खातेदारी का होने से वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहता है। जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल जाणी ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन बाद तामिल प्रापत हुआ। प्रतिवादीसं. 1 की ओर से जवाब पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया। वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 वादी का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी वकील कोई जिरह, साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है अतः अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित हुए । उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सारणों का तला (तारातरा) तहसील चौहटन में खसरा सं. 702/591 रकबा 05.5037 हैक्टयर एवं मौजा ताजासर (तारातरा) खसरा सं. 1191/725 रकबा 08.4498 हैक्टयर, खसरा सं. 1246/725 रकबा 03.3670 हैक्टयर में वादी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/2 हिस्सा का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड कलक्टर (SDO) चौहटन

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested